न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिरौल दरभंगा

कुलदीप राय

वनाम

अनावाद सर्व द्वारा अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान एवं महिन्द्र सदा बगै0

वाद संख्या–28 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा तिलकेश्वर थाना तिलकेश्वर ओ0 पी0 जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चोहद्दी
11 पु0	265 पु0	18 धुर	उ0–हरदेव प्र0 सिंह
168 नया	266 पु0		द0–राम सागर राम
109	267 पु0		पु0–नदी
146	466 पु0		प0–दशरथ पोद्दार
	471 पु0		
	657 नया		
	658 नया		
	666 नया		
	521नया		

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वाद पत्र की जमीन वादी के विकेता को पुराना खतियान पुर्वजो के नाम प्राप्त था तथा नया खतियान गलती से अनवाद सर्व साधारण बन गया है जबकि वादी अपने खरीद रकवा पर अपना दखल कब्जा पाकर राजस्व की अदायगी किया करते है। वादी के केवाला खतियान के अवलोकन के बाद श्रीमान पाएगें की इस विषयांकित जमीन का

नया सर्वे आमला के गलती के कारण सर्वसाधारण बन गया है। नया खतियान के सर्व साधारण की जमीन पाकर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वादी के दखल कब्जा को बाधित करने के लिए बल प्रयोग कर स्थल तनाव उत्पन्न कर दिये है। वादी के विक्रेता के अन्य विक्रय रकवा का नया खतियान वादी के विक्रेता के नाम बना है लेकिन इस वाद पत्र की जमीन का नया खतियान अनावाद बन गया है।

प्रतिवदी प्रथम पक्ष अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं0–5/2009–10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि0 अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से ट्रेश नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वित्तरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नही है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत किया गया है।

दुसरी तरफ प्रतिवादीगण 2 से 5 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पुर्वजो के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नही है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का अवासीय मकानमय सहन के शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहॉ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। हाल खतियान भी अनावाद सर्व साधारण दर्ज है जो सरकारी भूमि का होना दर्शाता है एवं पर्चा की सम्पुष्टि की जाती है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के खेसरा पु0 265, 266, 267, 466 एवं 471 नया खेसरा 657, 658, 660, एवं 521 पर अधिकार प्रख्यापन का दावा किया गया है। वादी द्वारा केवाला की प्रति संलग्न की गई है। केवाला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि केवाला दिनांक 21.07.98 को किया गया है जिसमें उक्त सभी खेसरा का जिक करते हुए प्रश्नगत भूमि की बिकी की गई है

जबकि उक्त तिथि को प्रश्गनत भूमि के अन्य खेसराओं को छोड़कर हाल खतियान का नया खेसरा 521 अनावाद बिहार सरकार दर्ज है जिसका पु0 खेसरा 466 एवं 471 है। इस प्रकार अन्य भूमि के साथ साथ बिहार सरकार के नाम दर्ज खेसरा का भी केवाला करना उचित प्रतीत नही होता है। दुसरे तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनलोगो को बन्दोबस्ती पर्चा मिला है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वाद संख्या 22/13–14 में अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी द्वारा संलग्न पर्चा आवंटन संबंधी अभिलेख एवं पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नए पुराने नक्शा, भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पु0 खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है जिसमें प्रश्नगत भूमि का पुराना खेसरा 265, 266, 267, जिसका नया खेसरा 657, 658, 660 है वह सम्मलित नही है। इस प्रकार पुराना खेसरा 265, 266, 267 जिसका नया खेसरा 657, 658, 660 है पर वादी का दावा बनता है परंतु एक ही केवाला से बिहार सरकार के भूमि का केवाला भी करा लिया गया है इसलिए दावा स्वीकार्य नही है। जहॉ तक प्रतिवादी के दावा का प्रश्न है नया खेसरा 521 के कुल रकवा 37 एकड़ में से 2 एकड़ 40 डि0 पर 80 भूमिहीनो को बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है जिसका पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459, एवं 460 है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को यदि पर्चा निर्गत है तो वह प्रश्गनत भूमि के किसी खेसरा पर नही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के किसी खेसरा पर प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का दावा स्वीकार नही किया जा सकता है तथा वादी के त्रुटिपुर्ण केवाला होने के कारण वाद को खारिज किया जाता है पक्षकार सक्षम न्यायालय में आवेदन दे सकते है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल